

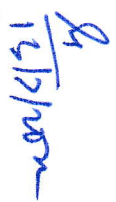
भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरूपष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला सागर अन्तर्गत वनमंडल दक्षिण सागर की आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, जिला सागर, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि :-13 / 07 / 2022

स्थान :- भोपाल


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal